30/8/24

Sri M. Ro. दा० अन्य अभी मौजूद होने से पत्रावली अग्रिम डिमांड 5/9/24 को पेश हो।

5/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेश दिनांक 23/10/24 को

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

23/10/24

वकील आवेदक अनुपस्थित। आवेदक स्वयं भी अनुपस्थित। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र से सम्बन्धित मूल पत्र आदम सतरी आदम पैमाई खारिज किया जा चुका है। अब इस प्रा. पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। मकरूर में पारित आदेश डिमांड 23/8/2023 तत्काल प्रभाव से वापस। अपास्त किया जाता है। प्रा. पत्र मूल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नथर से कम हो कार्य नस्तील जाता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner